

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

परिवाद संख्या - 05/2020

बड़जलास - मनोज कुमार, आर0ए0एस0

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी


सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर

हनुमानसिंह राजपुरोहित पुत्र जसूसिंह जाति राजपुरोहित
निवासी भैसेर चावण्डियावाली पोस्ट मथानिया
तहसील ओसिया जिला जोधपुर।
फर्म-श्री जोधपुर स्वीट्स एवं नमकीन, बस स्टेण्ड,
जायल जिला नागौर।

आदेश

दिनांक : 29.01.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी को दिनांक 23.10.2019 को मैसर्स जोधपुर स्वीट्स एवं नमकीन, तहसील चौराहा जायल, तहसील जायल जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ मावापेडा (मिठाई) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1215 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 251/एक्ट/2019/251 दिनांक 05.11.2019 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ मावापेडा (मिठाई) का नमूना Sub-Standard होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त हनुमानसिंह राजपुरोहित पुत्र जसूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भैसेर चावण्डियावाली पोस्ट मथानिया तहसील ओसिया जिला जोधपुर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।
2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 15-01-2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जवाब दिनांक 27.01.2021 को पेश किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से नमूना लिया। जो सब स्टेण्डर्ड होना पाया। मैं छोटा दुकानदार हूँ। मैं दूध बाहर से खरीदता हूँ। जिसमें फेट की मात्रा कम निकली। जिसके कारण सब स्टेण्डर्ड पाया गया। इस बार गलती माफ करे। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। कम से कम जुर्माना करे। दोष मुक्त करवाने का का निवेदन किया है।
3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 251/एक्ट/2019/251 दिनांक 05.11.2019 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावापेडा (मिठाई) का नमूना Sub-Standard पाया गया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी हनुमानसिंह राजपुरोहित पुत्र जसूसिंह जाति राजपुरोहित निवासी भैसेर चावण्डियावाली पोस्ट मथानिया तहसील ओसिया जिला जोधपुर पर रु. 7,000/- अक्षरे रूपये सात हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयवाधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।
4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
नागौर (राजस्थान)